

बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

चंचल कुमार,  
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित), भवन निर्माण विभाग ।

सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित), भवन निर्माण विभाग ।

सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित), भवन निर्माण विभाग ।

पटना, दिनांक:- 17/1/2020

विषय:-

प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त कर परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee के प्रावधान की स्वीकृति एवं उसके कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश ।

प्रसंग:-

पथ निर्माण विभाग, बिहार का अधिसूचना सं०-447(s) सह पठित ज्ञापांक-448(s) दिनांक-16.01.2020.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पथ निर्माण विभाग के प्रासंगिक अधिसूचना के द्वारा प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate tender) पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा को तत्काल समाप्त करते हुए परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee का प्रावधान किया गया है। भवन निर्माण विभाग में भी यह तत्काल प्रभाव से लागू है।

इस संबंध में निदेशित किया जाता है कि वैसी सभी निविदाएँ जो निर्गत हो चुकी हैं तथा तत्काल प्रभाव के बाद प्राप्त होनी हैं, उन सभी निविदाओं में प्राप्ति की तिथि का यथोचित अवधि विस्तार करते हुए उक्त निर्णय संबंधी शर्तें जोड़ी जाय ।

कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

अनु०-प्रासंगिक अधिसूचना

विश्वासभाजन

(चंचल कुमार)

प्रधान सचिव,

ज्ञापांक-

566 (५)

पटना, दिनांक-

17/1/2020

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग / विशेष सचिव/अपर सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/संयुक्त सचिव/निदेशक (अनुश्रवण) एवं आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

अनु०-प्रासंगिक अधिसूचना


प्रधान सचिव



ज्ञापांक- प्र०-6/द०बि० नियम-03-08/2006 (अंश)- 448 (5) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, ई गजट कोषाग, गजट वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो hard copy (हिन्दी एवं अंग्रेजी), MS Word में CD के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

  
16.1.2020

(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- प्र०-6/द०बि० नियम-03-08/2006 (अंश)- 448 (5) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :- सभी ~~प्रधान~~ सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
16.1.2020


(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- प्र०-6/द०बि० नियम-03-08/2006 (अंश)- 448 (5) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
16.1.2020


(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- प्र०-6/द०बि० नियम-03-08/2006 (अंश)- 448 (5) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
16.1.2020


(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- प्र०-6/द०बि० नियम-03-08/2006 (अंश)- 448 (5) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

  
16.1.2020

(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।



447(5) 12  
16/01/2020

**बिहार सरकार**  
**पथ निर्माण विभाग**  
**अधिसूचना**

1. पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-2046 (एस) दिनांक-06.03.2014 द्वारा प्रावधान किया गया है कि प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate Tender) पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा, परिमाण विपत्र की दर से 10 प्रतिशत कम पर निर्धारित रहेगी। 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर उद्धृत रहने वाली निविदायें अमान्य मानी जायेगी।

2. मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में कार्य विभागों के साथ बैठकें करके एवं तदोपरान्त समीक्षा में यह महसूस किया गया है कि सभी कार्य विभागों के लिए न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त करके एक वर्ष के बाद इसकी गुण-दोषों की समीक्षा की जायेगी।

उक्त आलोक में एक निश्चित स्तर (परिमाण विपत्र की दर) के नीचे निविदित दर दिये जाने पर निम्नवत् अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) लेने का प्रावधान किया जाता है:-

(a) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(b) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(c) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(d) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से ऊपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार

*(Signature)*  
16.1.2020  
(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- प्र०-6/द०वि० नियम-03-08/2006 (अंश)- 448(5) / पटना, दिनांक 16/01/2020  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*(Signature)*  
16.1.2020  
(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

क०प०३